HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 11398/2026
CNR: RJHC020604162026 | URN: CW / 25264U / 2026

Mahendra Singh S/o Shri Bhojpal Singh, Aged About 48 Years, Fair Price Shopkeeper Aasha Ki Nangla, Gram Panchayat Kalyanpur (Aghapur), Tehsil And District Bharatpur (Raj.).

----Petitioner

Versus

1. Additional Food Commissioner, Food, Civil Supply And Consumer Matters Department, Secretariat, Jaipur.
2. District Supply Officer, Bharatpur.
3. District Collector (Supply), Bharatpur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Keshav Kumar Agarwal
For Respondent(s)	:	Mr. Devesh Bajoria Ms. Arti Soni for Mr. Lokendra Singh Rao, Dy.G.C.

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

24/07/2026

याची की ओर से यह याचिका जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2024 व उसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

सुना गया।

याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जिला रसद अधिकारी ने याची के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने संबंधी आदेश दिनांकित 31.12.2024 पारित किया है, परन्तु उक्त आदेश पारित करने से पूर्व याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया तथा जिस जांच और जांच में पाई गई तथाकथित कमियों के आधार पर उक्त कार्यवाही की गई है, उसकी रिपोर्ट भी कभी याची को उपलब्ध नहीं करवाई गई। यह आदेश याची के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। प्रकरण में जारी

नोटिस याची को कभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। उनका यह भी तर्क है कि उन्होंने निगरानी प्राधिकारी के समक्ष भी ये सभी आपत्तियां उठाई थी, परन्तु निगरानी प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 06.05.2026 में उसकी किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया और न ही उनके संबंध में निर्णय ही दिया है। उनका यह भी तर्क है कि निगरानी प्राधिकारी ने और जिला रसद अधिकारी ने अपने आदेशों में याची द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति को उसकी स्वतः स्वीकारोक्ति माना है, जबकि यह विभाग का दायित्व/भार (burden) था कि जो आक्षेप उनके द्वारा लगाये गये हैं, उन्हें वे प्रमाणित करते।

अयाची विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश बाजोरिया उपस्थित हुए, जिन्होंने याचिका के नोटिस स्वीकार किये, प्रति पूर्व में दिलाई जा चुकी है।

इसके विपरीत अयाची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची को कारण बताओ नोटिस भी दिये गये थे तथा जिला रसद अधिकारी ने आदेश पारित करने से पूर्व भी याची को नोटिस दिये थे, जिनकी तामील भी हुई है तथा इन सभी तथ्यों को वे जवाब के माध्यम से अभिलेख पर लाना चाहते हैं। उनका तर्क है कि उचित विधिक प्रक्रिया अपनाने के उपरान्त ही अनियमितता पाये जाने के आधार पर याची का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि याची का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया था, इस कारण उसके संबंध में नया विज्ञापन जारी किया गया है। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने अन्तरिम अनुतोष की प्रार्थना की। उनका तर्क है कि उसकी याचिका अभी लम्बित है और विभाग की ओर से नया विज्ञापन उसी उचित मूल्य की दुकान के संबंध में जारी किया जा चुका है, जिसके संबंध में पूर्व में उसका प्राधिकार पत्र आलौच्य आदेशों द्वारा निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि किसी अन्य व्यक्ति को इस हेतु प्राधिकार पत्र दे दिया जायेगा, तो उसकी यह याचिका निष्फल हो जायेगी।

विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों को देखते हुए यह अन्तरिम आदेश दिया जाता है कि आगामी तिथि तक जिला रसद अधिकारी, भरतपुर द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 09.06.2026 की क्रियान्विति उसमें वर्णित कल्याणपुर ग्राम पंचायत (पुराना चकदारापुर–1) एफपीएस कोड संख्या 27423 के संबंध में स्थगित रहेगी।

प्रकरण चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

22/VISHAL SHARMA